रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-07112026-277797
CG-TL-E-07112026-277797
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5855] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2026/कार्तिक 15, 1948
No. 5855] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2026/KARTIKA 15, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 4 नवंबर, 2026

का.आ. 6088(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20(ए) की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी तथा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 21 सितंबर, 2026 (इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) को प्रकाशित भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), संख्यांक का.आ. 5195(ई), 21 सितंबर, 2026 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्थात् तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् "मुदखेड-डोन दोहरीकरण परियोजना" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत दैनिक समाचारपत्रों, "द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदी मिलाप और साक्षी" में 26 सितंबर, 2026 को प्रकाशित किया गया था;

और चूंकि कामारेड्डी जिले के गिद्दा और उप्पलवाई गांव से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचारोपरांत तदनुसार आदेश पारित किए गए हैं;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अत: अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ई) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी.

अनुसूची

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण	यात्री और माल ढुलाई सुविधा के लिए कामारेड्डी जिला, रामारेड्डी मंडल क्षेत्राधिकार में कामारेड्डी मंडल के सीमा के भीतर मेड्चल से मुदखेड-डोन सेक्शन के बीच प्रस्तावित दोहरीकरण के भाग में सिरनापल्ली से उप्पलवाई स्टेशनों के बीच दोहरीकरण के लिए अतिरिक्त भूमि.

क्र.सं	**गांव और मंडल का नाम**	**जिला का नाम**	**भूमि धारक का नाम**	**भूमि वर्गीकरण**	**सर्वेक्षण सं.**	**भूमि अधिग्रहण क्षेत्र**	**संपत्ती**		
						एकड़ गुंटा	**पेड़ों**	**निर्माण**	**कुआं**
1		कामारेड्डी	वेमुलपल्ली शिव तेजस्विनी सुपुत्री वेमुलपल्ली कोटेश्वर राव	पट्टा	105	0.0050			
2			वेमुलपल्ली शिव तेजस्विनी सुपुत्री वेमुलपल्ली कोटेश्वर राव	पट्टा	106	0.09			
3			कोट्टाला लावण्या पत्नी रवि	लावुणी पट्टा	107	0.09			
4			सरकारी भूमि	सरकारी भूमि	136	0.07			
5			श्रीनिवास राव सुपुत्र भगवन्त राव	पट्टा	137	0.02			
6			बोंतपल्ली मुरलीधर राव सुपुत्र भगवान्त राव	पट्टा	137	0.02			

7			वीकेआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	पट्टा	138	0.20			
				गांव कुल		**एकड़ 1.0950 गुंटा**			

क्र.सं	**गांव का नाम**	**जिला का नाम**	**भूमि धारक का नाम**	**भूमि वर्गीकरण**	**सर्वेक्षण सं.**	**भूमि अधिग्रहण क्षेत्र**	**संपत्ती**		
						एकड़ गुंटा	**बोरवेल**	**निर्माण**	**पेड़**
1	उप्पलवाई	कामारेड्डी	शिकम	शिकम	391	0.18			
				गांव कुल		**एकड़ 0.18 गुंटा**			

[फा. सं. W.Con.182/SRP-06/MUE-DHNE/23-24/247/20E/04112026]

बी.कृष्णा रेड्डी, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 4th November, 2026

S.O. 6088(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 5195 (E) dated the 21st September, 2026 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3 Sub-section (ii), dated the 21st September, 2026 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20(A) of the Railway Act,1989 (24 of 1989), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Mudkhed – Dhone doubling project in the District of Kamareddy in the State of Telangana.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely "**THE TIMES OF INDIA, HINDI MILAP and SAKSHI" dated 26 September 2026** under sub section (4) of section 20Aof the said Act;

And whereas, for Gidda & Uppalavai Villages of Kamareddy district, no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas in pursuance of sub-section (1) of 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government here by declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances:

SCHEDULE

Description of lands in acquisition:	Additional land for Doubling of Railway line between Sirnapalli to Uppalavai stations part of proposed doubling between Medchal to Mudkhed – Dhone Railway Lane within the limits of Kamareddy Division, Kamareddy District Ramareddy Mandal jurisdiction for passenger and freight facility.

S. No.	Name of the Village & Mandal	Name of the district	Name of the Land Holder	Land Classification	Sy.No.	Land Acquisition Area	Assets		
						in Ac.gts	Borewell	Constructions	Trees
1	Gidda (V) of Ramareddy (M)	Kamaredd	VemulapallyShiva Tejaswini D/o Vemulapally Koteshwar Rao	Patta	105	0.0050			
2			Vemulapally Shiva Tejaswini D/o VemulapallyKoteshwar Rao	Patta	106	0.09			
3			Kottala Lavanya W/o Ravi	Lavuni Patta	107	0.09			
4			Govt Land	Govt. Land	136	0.07			
5			Srinivasa Rao S/o Bhagavanth Rao	Patta	137	0.02			
6			Bonthapally Muralidhar Rao S/o Bhagavanth Rao	Patta	137	0.02			
7			VKR Projects Private Limited	Patta	138	0.20			
				Village Total		**Ac 1.0950 gts**			

S. No.	Name of the Village	Name of the district	Name of the Land Holder	Land Classification	Sy.No.	Land Acquisition Area	Assets		
						in Ac.gts	Borewell	Constructions	Trees
1	Uppalwai	Kamareddy	Shikam	Shikam	391	0.18			
				Village Total		Ac. 0.18 gts			

[F. No. W.Con.182/SRP-06/MUE-DHNE/23-24/247/20E/04112026]

B.KRISHNA REDDY, Chief Engineer/Con-III

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA Digitally signed by BHABAJIT DEKA Date: 2026.11.07 16:16:05 +05'30'